

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24, 1976/माघ 4, 1897

No. 32]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24, 1976/MAGHA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January 1976

G.S.R. 40(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 of the *Burmah-Shell (Acquisition of Undertakings in India) Act, 1976* (2 of 1976), the Central Government, being satisfied that *Burmah-Shell Refineries Ltd.*, a Government Company, is willing to comply with such terms and conditions as may be imposed by the Central Government, hereby directs that the right, title and interest and the liabilities of *Burmah-Shell Oil Storage and Distributing Company of India Ltd.*, in relation to its undertakings in India, shall, instead of continuing to vest in the Central Government, vest with effect from the twenty fourth day of January, 1976, in *Burmah-Shell Refineries Ltd.*

[No. F JS(P)/6/75-Vol. VII and R. 42011/1/76-OR.II]

M. RAMASWAMI, Jt. Secy.

पेट्रोलियम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1976

सां० का० नि० 40 (अ).—बर्माशैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 के 2) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि बर्माशैल रिफाइनरीज लि०, जो एक सरकारी

कम्पनी है, ऐसी शर्तों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई जाय, का अनुपालन करने के लिए इच्छुक है, एतद्वारा निदेश करती है कि अधिकार, नाम और हित तथा भारत में अपने उपक्रमों के सम्बन्ध में बर्माशील ऑयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी प्राँफ इण्डिया लि० की देयताएं, केन्द्रीय सरकार में निहित रहने के बजाये, चौबीस जनवरी, 1976 से बर्माशील रिफाइनरीज लि० में निहित रहेंगी ।

[सं० फा० जे० एस० (पी०)/6/75-भाग VII

ओर आर० 42011/1/76-ओ० आर०-II]

एम० रामास्वामी, संयुक्त सचिव ।